संख्या-175 /2024/503/35-4-2024/35-4002(002)/1/2024

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 10 अप्रैल, 2024

विषय:- जनपद-लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद लखनऊ में शासनादेश संख्या-590/2023/1288/35-4-2023 , दिनांक 30 मार्च 2023, द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 10 कार्यों में से प्रश्नगत 04 कार्यों (शासनादेश दिनांक 30.03.2023 में सारणी क्र0 2,3,7 एवं 9 पर अंकित) की रू0 112.77 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 56.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक सं0-232/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 04.03.2024 (तालिका क्र0 4,5,6) एवं पत्रांक-249/त्व0आ0वि0यो0/2023-24, दिनांक 12.03.2024 (तालिका क्र0 9) द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2023 से स्वीकृत प्रश्नगत 04 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 112.77 लाख के सापेक्ष अद्यतन अवमुक्त की गई धनराशि रू0 56.40 लाख का उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि रू० 56.37 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 56.37 लाख (रूपये छप्पन लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	इस्माइल गंज द्वितीय वार्ड में डी0 के0 मैरिज लॉन के आगे दांतो के अस्पताल के सामने से श्री आदित्य तिवारी के मकान से श्री राममोहन तिवारी के मकान तक एवं श्री रवीन्द्र शर्मा जी के मकान से श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए श्रीमती सुशीला शर्मा जी के मकान तक एवं पाण्डे जी के घर के सामने वाली गली में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	35.77	17.89	17.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

2.	विकास नगर में से0 7 में 7/590 से 7/111 श्री अनिल श्रीवास्तव के घर तक एवं 7/167 से 7/170 तक नाली एवं डामर रोड निर्माण कार्य।	23.10	11.55	11.55
3.	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड में आदर्श नगर कल्याणपुर में सैनिक आटा चक्की से डी 40 होते हुए श्री पी. के. सिंह म0सं0 529ध/81 तक व सीधे हाथ की गली में मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य।	34.37	17.19	17.18
4.	सेक्टर 12 इंदिरा नगर में म0सं0 12/433 से लेकर 12/454 तक एवं उसके सामने पार्क के एक तरफ व म0सं0 12/454 से लेकर भवन सं0 12/488 होते हुए तुलसी प्लाजा तक एवं मकान सं0 12/488 से म0सं0 12/319 तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.53	9.77	9.76
	योग	**112.77**	**56.40**	**56.37**

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी|

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 56.37 लाख (रूपये छप्पन लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0304_शहरी क्षत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या-175/2024/503(1)/35-4-2024/35-4002(002)/1/2024 / तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त,लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।